


रिख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज

राजस्व प्रा.पत्र संख्या 49/2021 अनुवान धन्नाराम बनाम ईश्वरराम वगैरह

04.2025

वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण हाजा से संबंधित मूल वाद संख्या 48/2021 अनुवान धन्नाराम बनाम ईश्वरराम वगैरह अधीन धारा 129, 130, 131, 136 आरएलआर एक्ट जरिये विड्रॉल खारिज किया जा चुका है। मूल प्रकरण के खारिज हो जाने से प्रार्थना पत्र हाजा अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पोषणीय नहीं रहा है। अतः मूल प्रार्थना पत्र प्रकरण के निस्तारण (खारिज) हो जाने तथा प्रकरण हाजा अधीन धारा 212 आरटीएक्ट के पोषणीय नहीं रहने से उक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



(जीतू कुलहरी)

उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी
नावां